

**उत्तर प्रदेश शासन,  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या-911/न0वि0-5-19-404SA/2017  
लखनऊ: दिनांक ०४ मार्च, 2019**

**अधिसूचना**

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या-1061(3)/न0वि0-5-18-404एसए/2017, दिनांक 16.10.2018 प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि कोई आपत्तियां और सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुये हैं;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 सन् 1916) की धारा 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा नियमावली, 1918 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

**उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019**

- संक्षिप्त विस्तार और प्रारम्भ** नाम 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी;  
(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों में लागू होगी।  
(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- नियम-1 का संशोधन** 2. नगरपालिका लेखा नियमावली, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-1में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) और (2), के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

<b>स्तम्भ-1 (विद्यमान उप नियम)</b>	<b>स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम)</b>
(1) यह नियमावली नगरपालिका लेखा नियमावली कही जायेगी। (2) इन नियमों में, विषय तथा सन्दर्भ की असंगतियों को छोड़कर निम्नांकित होंगे (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उ प्र नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है। (ख) "कोषागार" का तात्पर्य किसी सरकारी कोषागार या उपकोषागार या कोई बैंक, जिसको सरकारी कोषागार सम्बन्धी कार्य	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली, 2018 कही जायेगी। (2) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है; (ख) "लेखा नियम-संग्रह" का तात्पर्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी

सौंपा गया हो और इसमें कोई ऐसा महाजन या महाजन के रूप में कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित है जिसके पास अधिनियम की धारा 115(2) के अधीन नगरपालिका निधि रखी गयी हों;

(ग) "कोषाधिकारी" का तात्पर्य ऐसे बैंकर या व्यक्ति जो बैंकर के रूप में कार्य कर रहा हो तथा जिसके पास उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा 115 (2) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 139 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नगर पालिका निधि रखी जाती हो;

और प्रोद्भवन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के अनुसार नगर पालिका लेखा तथा वित्तीय विवरण अनुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से अंगीकृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम-संग्रह" से है;

(ग) "लेखा परीक्षक" का तात्पर्य ऐसे निदेशक/परीक्षक, स्थानीय निधियां, उत्तर प्रदेश और/या लेखा परीक्षक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, आंतरिक लेखा परीक्षक, वाह्य लेखा परीक्षक, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान का सदस्य होगा अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य लेखा परीक्षक से है ;

(घ) "कोषागार" का तात्पर्य किसी सरकारी कोषागार या उपकोषागार या किसी बैंक, जिसको सरकारी कोषागार सम्बन्धी कार्य सौंपा गया हो; और इसमें कोई ऐसा महाजन, या महाजन के रूप में कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित है, जिसके पास अधिनियम की धारा 115(2) के अधीन नगरपालिका निधि रखी जाती हो;

(ङ) "कोषाधिकारी" के अन्तर्गत कोई ऐसे महाजन या व्यक्ति जो महाजन के रूप में कार्य कर रहा हो सम्मिलित है जिसके पास अधिनियम की उपधारा 115 (2) के अधीन नगर पालिका निधि रखी जाती

	हो;
--	-----

नियम-5  
संशोधन

का 3. उक्त नियमावली में नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख)के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा,, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 ( विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ख) चेक पर हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी, चेक जारी करते समय सम्बन्धित आयकर आधिकारी को सम्बोधित किया जाये, प्रदेश के आयकर आयुक्त को, गैर सरकारी लोगों को फीस के रूप में भुगतान की गयी धनराशि को, जिसमें वकील की फीस, बोनस, पारिश्रमिक या किसी प्रकार के पुरस्कार सम्मिलित है, आदता के पते के साथ-साथ सूचना देगा। 250 रू0 से कम के भुगतान की सूचना न दी जाये और यह वित्तीय सीमा किसी व्यक्ति को किये गये प्रत्येक एकल भुगतान पर लागू होगी और न कि वर्ष के दौरान उसको किये गये भुगतान के योग पर लागू होगी।	(ख) चेकों पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी को चेक जारी करते समय लागू सांविधिक अधिनियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

नियम-7  
संशोधन

का 4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सामान्य निर्देश 7- नगरपालिका लेखा से सम्बन्धित ब्यौरों के विषय में परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। इस नियमावली में नगरपालिकाओं में सामान्यतः होने वाले सभी वर्गों के लेन-देनों के लिये विहित रजिस्ट्रों और प्रपत्रों की	सामान्य निर्देश 7 (1)-लेखाओ से सम्बन्धित विवरण के मामले में परिषद का मार्गदर्शन, लेखा नियम संग्रह और निदेशक/परीक्षक, स्थानीय निधियां, उत्तर प्रदेश के अनुदेशों द्वारा किया जायेगा। इस नियमावली और लेखा नियम संग्रह में विहित प्रपत्रों में नगरपालिकाओं में प्राप्त किये जाने वाले समस्त प्रकार की धनराशियों के संव्यवहारों का उपबंध है। किसी परिषद

<p>व्यवस्था की गई है। किसी नगरपालिका द्वारा इन प्रपत्रों में कोई परिवर्तन या परिष्करण और कोई नया लेखा-प्रपत्र, शासन की स्वीकृति के बिना, नहीं किया जा सकता है।</p> <p>परन्तु यह कि जिस नगरपालिका की निधियाँ भारतीय स्टेट बैंक में रखी गयी हों, वह बैंक के साथ अपने लेन-देनों में इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्रों के स्थान पर बैंक के प्रपत्रों का प्रयोग कर सकता है।</p>	<p>द्वारा इन प्रपत्रों में कोई परिवर्द्धन या उपान्तरण और किसी नये लेखा प्रपत्र का उपबंध, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे परिषद, जो अपनी निधियाँ भारतीय स्टेट बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक में रखती हैं, नियमावली में विहित प्रपत्रों के स्थान पर बैंकों के साथ संव्यवहार में बैंक प्रपत्रों का प्रयोग कर सकती हैं।</p> <p>(2) जहाँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले मार्गदशक सिद्धान्तों या नगर पालिकाओं के लिए लागू लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुपालन में शीर्षक/ उपशीर्षक में परिवर्द्धन, संशोधन प्रतिस्थापन या लोप सहित विवेचन या प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन अथवा वित्तीय विवरणों या उसके किसी भाग में कोई पारस्परिक परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो वहाँ ऐसा राज्य सरकार के प्रशासनिक आदेश द्वारा किया जायेगा और तदनुसार लेखा नियम संग्रह की अपेक्षाएं संशोधित मानी जायेगी।</p> <p>(3) लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखाओं को, परिषद के समक्ष अनुमोदन और अंगीकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।</p> <p>(4) अधिनियम के अनुपालन में परिषद त्रैमासिक अंतरालों पर वार्षिक बजट, लेखा परीक्षित अंतिम लेखाओं, प्राप्तियों और व्ययों आदि की प्रतिलिपि अपने आधिकारिक वेबसाईट और केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों, यदि कोई हो, के सूचना पट्टों पर डालेगा और लोक प्रकटीकरण हेतु नगर पालिका क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा।</p>
--	--

नियम 11 का  
संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

<p style="text-align: center;"><u>स्तम्भ-1</u> (विद्यमान नियम)</p>	<p style="text-align: center;"><u>स्तम्भ-2</u> (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)</p>
<p>11-नगरपालिका के लेखों की संपरीक्षा, सम्परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा के आदेशों द्वारा या उनके अधीन, यथासम्भव वर्ष में एक बार की जायेगी।</p>	<p><b>11(1)</b> परिषद् की लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक/परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा के आदेशों द्वारा या उनके अधीन, यथासम्भव वर्ष में एक बार की जायेगी।</p> <p>(2) राज्य सरकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या परिषद, लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से आदेश कर सकते हैं और उनके लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं।</p> <p>(3) अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अधीन लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षा का निष्पादन, लेखा नियम संग्रह, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और मान्यता प्राप्त व्यावसायिक मानकों एवं पद्धतियों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, करेगा:</p> <p>(4) लेखा परीक्षक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर लेखा परीक्षा पूर्ण कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा।</p> <p><b><u>अनुदेश टिप्पणी</u></b></p> <p><b>लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित उल्लेख होंगे:</b></p> <p>(एक) क्या उसने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो उसके लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे?</p> <p>(दो) क्या उसकी राय में अधिनियम, नियमावली, लेखा नियम संग्रह और किन्हीं अन्य अनुबंधों द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा पुस्तिकाएं, जैसा कि उसके उन पुस्तिकाओं के परीक्षण से प्रकट हो, नगर पालिका द्वारा रखी गयी हैं?</p>

(तीन) क्या रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत किये गये नगर पालिका के तुलनपत्र, आय और व्यय का विवरण, प्राप्ति एवं संदाय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप है?

(चार) क्या उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रणों का पालन किया गया है?

(पांच) क्या समस्त संदाय, विधि के अनुसार किये गये हैं?

(छः) क्या कोई कमी या क्षति किसी एक व्यक्ति की निरा उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई प्रतीत होती है? (यदि हाँ तो क्षति की धनराशि की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए)

(सात) क्या नगर पालिका की ओर से प्राप्त किसी धनराशि, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय निकाय के लेखा में प्रविष्टि की जानी चाहिए थी, की इस प्रकार प्रविष्टि कर दी गयी है?

(आठ) क्या कोई ऊपर उल्लिखित से भिन्न सारभूत अनौचित्य या अनियमितता उसके द्वारा लेखाओं की लेखा परीक्षा के प्रक्रम के दौरान संप्रेक्षित की गयी है?

(नौ) क्या नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त व्यय, मौलिक या अनुवर्ती रूप से अनुमोदित बजट के समुचित उपबंध द्वारा प्राधिकृत है?

(दस) क्या नगर पालिका के प्रति देय या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों की प्रविष्टि, विहित समय सीमाओं के भीतर लेखा में कर ली गयी है?

(ग्यारह) क्या समस्त संव्यवहार (आय, व्यय, परिसम्पत्ति तथा देनदारियाँ) उपयुक्त रूप से वर्गीकृत हैं?

(बारह) क्या समस्त कार्यों तथा अन्य व्यय के कारण प्रभारों हेतु समस्त देयकों के संबंध में समुचित प्रमाण पत्र उनके समर्थन में उपलब्ध कराये गये हैं और यह कि सक्षम प्राधिकारी के

अनुमोदन के बिना अनुमोदित योजनाओं तथा प्राक्कलनों से कोई विचलन नहीं किया गया है?

(तेरह) क्या विशिष्ट अनुदानों के रूप में प्राप्त धनराशियों का उपयोग, अनुदान अनुमोदन आदेश में यथा उल्लिखित प्रयोजनों के लिए कर लिया गया है?

(चौदह) क्या विशेष निधियां, सुसंगत परिणियमों के उपबंधों के अनुसार सृजित की गयी हैं और क्या विशेष निधियों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए सृजन किया गया है, कर लिया गया है?

(पन्द्रह) क्या नगर पालिका, परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिर परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियों को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों को अनुरक्षित कर रही है; क्या इन स्थिर परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन, प्रबंधन द्वारा युक्तियुक्त अंतरालों पर कर लिया गया है; क्या इस प्रकार के सत्यापन पर कोई सारभूत त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं और यदि ऐसा है तो क्या उन्हें लेखा पुस्तिकाओं में समुचित रूप से व्यवहृत कर लिया गया है?

(सोलह) क्या नगर पालिका द्वारा युक्तियुक्त अन्तरालों पर भण्डार गृह का भौतिक सत्यापन किया गया है?

(सत्रह) क्या नगर पालिका द्वारा अनुसरण की जाने वाली भण्डार गृह संबंधी भौतिक सत्यापन प्रक्रियाएं, युक्तियुक्त तथा पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो ऐसी प्रक्रियाओं की अपर्याप्ताओं के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए?

(अठ्ठारह) क्या भण्डार गृहों के भौतिक सत्यापन के समय पुस्तकीय अभिलेखों से मिलान करने पर कोई सारभूत त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं और यदि ऐसा है तो उन्हें लेखा पुस्तिकाओं से समुचित रूप से व्यवहृत

कर लिया गया है?

**(उन्नीस)** क्या भण्डार गृहों का मूल्यांकन, लेखा नियम संग्रह में निर्धारित किये गये लेखा सिद्धान्तों के अनुसार है? क्या भण्डार गृहों के मूल्यांकन का आधार वही है जो पूर्ववर्ती वर्ष में था? यदि मूल्यांकन के आधार में कोई विचलन पाया जाता है तथा ऐसे विचलन का प्रभाव, यदि सारभूत हो, के सम्बन्ध में सूचित किया जाना चाहिए।

**(बीस)** क्या ऐसे पक्षकार, जिन्हें नगरपालिका द्वारा ऋण अथवा ऋण की प्रकृति के अग्रिम प्रदान किये गये हैं यथा निर्धारित मूलधनराशि का प्रतिसंदाय कर रहे हैं और ब्याज का भी नियमित रूप से संदाय कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या नगर पालिका द्वारा मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए युक्ति युक्त कदम उठाये गये हैं?

**(इक्कीस)** क्या भण्डार गृहों, जिनमें संघटक, सयंत्र, मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं, के क्रय हेतु कोई पर्याप्त आंतरित नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है?

**(बाइस)** क्या किन्हीं अनुपयोगी अथवा क्षतिग्रस्त भण्डार गृहों को चिन्हित करने के लिए उचित प्रक्रियाएं विद्यमान हैं तथा क्या इस संबंध में क्षति, यदि कोई हो, के लिए, लेखाओं में उपबंध किया गया है?

**(तेइस)** क्या नगर पालिका समुचित प्राधिकारियों द्वारा कटौती किये गये भविष्य निधि के देयों तथा अन्य सांविधिक करों को नियमित रूप से जमा कर रही है और यदि नहीं कर रही है तो बकाये की सीमा क्या है?

**(चौबीस)** क्या नगर पालिका, स्रोत पर काटे गए करों (आयकर तथा संकर्म संविदा कर) और अन्य सांविधिक देयों को नियमित रूप से जमा कर रही है



	<p>तथा यदि नहीं कर रही है तो ऐसे विलम्ब की प्रकृति और उसके कारण तथा जमा न की गयी धनराशि के संबंध में सूचना दी जानी चाहिए?</p> <p>(पच्चीस) क्या कोई व्यक्तिगत व्यय राजस्व लेखा से प्रभारित किये गये हैं, यदि ऐसा है तो उसके पूर्ण विवरण की सूचना दीजिए?</p>
--	--

नियम 11क का संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ एक में दिये गये नियम 11क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<p>11क. अपने लेखों की संपरीक्षा की लागत की पूर्ति के लिये नगरपालिका निम्नलिखित रूप से परिकलित फीस का भुगतान करेगा:</p> <p>जब आय 65,000 रु० से अधिक न हो .....1.00 रु० प्रति सैकड़ा</p> <p>जब आय 65,000 रु० से अधिक किन्तु 1,00,000 से अधिक न हो ..... 80.00 रु० प्रति सैकड़ा और 1,00,000 रु० से अधिक के लिये प्रत्येक 10,000 रु० या उसके किसी भाग के लिये ..... 30.00 रु० प्रति सैकड़ा किन्तु कोई फीस 75.00 रु० से कम नहीं होगी।</p> <p>स्पष्टीकरण- इस नियम में "आय" का तात्पर्य उस वर्ष की प्राप्तियों से है जिसमें लेखों की संपरीक्षा, प्रदेशीय लोकन निर्माण या लोक स्वास्थ्य विभाग को अंशदान कार्य के सम्बन्ध में किये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान की गयी किसी धनराशि को</p>	<p>11क. अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा की लागत को पूरा करने के लिए लेखाओं के परीक्षण और उनकी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त प्रभारों, फीस तथा व्ययों का संदाय, परिषद द्वारा, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित सन्नियमों के अनुसार किया जायेगा।</p>

घटाने के बाद की जाये।

नियम 11.ख का निकाला जाना

7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 11 ख के स्थान स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

<p>स्तम्भ-1 (विद्यमान नियम)</p>	<p>स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)</p>
<p>11.ख- उपर्युक्त पैरा 11-क में निर्दिष्ट संपरीक्षा फीस केवल दो मास के लेखों के किसी परख संपरीक्षा के लिये है। यदि परख-संपरीक्षा या अन्यथा के फलस्वरूप किसी लम्बी अवधि के लेखों की संपरीक्षा कराना हो तो एक विशेष संपरीक्षा फीस प्रभार्य होगी। ऐसी फीस संपरीक्षा के लिये नियोजित अधिष्ठान के इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों के ठहरने के वास्तविक व्यय सहित वेतन और यात्रा व्यय दोनों पर होने वाली वास्तविक व्यय सहित वेतन और यात्रा व्यय दोनों पर होने वाली वास्तविक लागत होगी। यदि ऐसी संपरीक्षा परख-संपरीक्षा के साथ समायोजित की जाती है तो वास्तविक संपरीक्षा अवधि में से परख- परीक्षा के लिये सामान्यतः आवंटित कार्य दिवसों की संख्या की अवधि घटा दी जायेगी और प्रभार्य फीस शेष अवधि के लिये अधिष्ठान की लागत के साथ उपर्युक्त पैरा 11-क के अधीन परख-संपरीक्षा के लिये प्रभार्य फीस को मिलाकर होगी।</p> <p>टिप्पणी- यह नियम तब लागू होता है जब विशेष संपरीक्षा या तो नगरपालिका के अनुरोध पर या शासन, विहित प्राधिकारी या जिला अधिकारी के आदेशों के अधीन की जाये, की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना</p>	<p>निकाल दिया गया</p>

परीक्षक अपनी ओर से कोई विशेष संपरीक्षा नहीं करेगा जिसके लिये उसको विशेष संपरीक्षा फीस की माँग करना पड़े।

नियम  
संशोधन

13

का

8. उक्त नियमावली में, नियम 13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 (विद्यमान उपनियम)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
<p>(1) प्रत्येक संपरीक्षा का परिणाम दो भागों में भेजा जायेगा:-</p> <p>(क) आपत्ति विवरण-पत्र, जिसमें तकनीकी अनियमिततायें, विलोपन तथा त्रुटियों के सम्बन्ध में विशेष आपत्तियाँ सम्मिलित होंगी।</p> <p>(ख) संपरीक्षा टिप्पणी, जिसमें सामान्य और महत्वपूर्ण प्रकृति के ऐसे विषय सम्मिलित होंगे जिस पर स्थानीय निकाय और उच्च प्राधिकारियों का विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो।</p>	<p>(1) प्रत्येक लेखा-परीक्षा का परिणाम तीन भागों में संसूचित किया जायेगा:-</p> <p>(क) आपत्ति विवरण-पत्र, जिसमें विशेष आपत्तियाँ समाविष्ट हैं, की तकनीकी अनियमितताओं, विलोपनों और त्रुटियों पर कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ख) लेखा-परीक्षा टिप्पणी, सामान्य और महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों, जिसमें स्थानीय और उच्च प्राधिकारियों के विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, में कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>(ग) लेखा परीक्षक रिपोर्ट में विशेष रूप से ऐसे किसी अन्य मामलों से संबंधित रिपोर्ट सम्मिलित होगी जिसे सरकार या बोर्ड द्वारा लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से आच्छादित किया जाना आवश्यक हो।</p>

Manoj  
( मनोज कुमार सिंह )  
प्रमुख सचिव

## **Uttar Pradesh Shasan Nagar Vikas Anubhag-5**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 911/NV-5-18-404SA/2017, Lucknow: Dated March, 2019

### **NOTIFICATION No. 911/NV-5-18-404SA/2017 Lucknow: Dated 8 March, 2019**

Whereas Notification No-1061/NV-5-18-404SA/2017, dated 16.10.2018 was published to invite objections & suggestions with regard to the U.P. Municipal Account (First Amendment) Rules, 2018;

And whereas no objections and suggestions have been received within the stipulated time;

Now, therefore in exercise of the powers under section 296 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (UP Act no.II of 1916) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the U.P. Municipal Accounts Rules, 1918.

### **UTTAR PRADESH MUNICIPAL ACCOUNTS (FIRST AMENDMENT) RULES, 2019**

**Short title,  
extent and  
commencement**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Accounts (First Amendment) Rules 2019.

(2) They shall be applicable in all Municipal Councils (Nagar Palika Parishads) and Nagar Panchayats of the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

**Amendment of  
rule 1**

2. **In the Municipal Account Rules hereinafter referred to as the said rules, in rule 1 for sub-rules 1 and 2 set out in**

**Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-**

<p align="center"><b>Column-1 (Existing sub-rules)</b></p>	<p align="center"><b>Column-2 (Sub-rules as hereby substituted)</b></p>
<p>1. These rules may be called the Municipal Account Rules.</p> <p>2. In these rules, unless there is something repugnant in the subject or context,-</p> <p>(a) "the Act" means the U.P. Municipalities Act, 1916;</p> <p>(b) "the treasury" means a Government treasury or sub-treasury, or a bank to which the Government treasury business has been made over; and includes a banker, or person acting as a banker, with whom a municipal fund is kept under section 115(2) of the Act;</p> <p>(c) "treasury officer" includes a banker, or person acting as a banker with whom a municipal fund is kept under section 115(2) of the Act;</p>	<p>1. These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Account Rules, 1918.</p> <p>2. In these rules, unless there is something repugnant in the subject or context,-</p> <p>(a) "Act" means the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916;</p> <p>(b) "Accounts Manual" means the Uttar Pradesh Municipal Accounts Manual conforming to the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General of India and duly adopted by the Government of Uttar Pradesh for maintaining municipal accounts and financial statements in accordance with accrual-based Double Entry Accounting System;</p> <p>(c) "Auditor" means the Director / Examiner, Local Funds, Uttar Pradesh and/or any other person authorized by him to perform the functions of an auditor, a Municipal Internal Auditor, External Auditor who shall be a member of the Institute of Chartered Accountants of</p>

	<p>India, or Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India or any other Auditor appointed by the State Government;</p> <p>(d) “the treasury” means a Government treasury or sub-treasury, or a bank to which the Government treasury business has been made over; and includes a banker, or person acting as a banker, with whom a municipal fund is kept under section 115(2) of the Act;</p> <p>(e) “treasury officer” includes a banker, or person acting as a banker with whom a municipal fund is kept under section 115(2) of the Act.</p>
--	--

**Amendment of rule 5**     **3. In the said rules, in rule 5 for clause (b) set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-**

<b>Column-1 (Existing clause)</b>	<b>Column-2 (Clause as hereby substituted)</b>
<p><b>(b)</b> The authority signing the cheques shall, at the time of issuing the cheques, intimate to the Income –tax officer concerned or, in case of doubt as the particular Income-tax officer who should be addressed, to the commissioner of income tax of the province, the amount of payment made to non-officials on account of</p>	<p><b>(b)</b> The authority signing the cheques shall, at the time of issuing the cheques, strictly adhere by the statutory Acts applicable.</p>

<p>fees, including pleaders fees bonus, remuneration or reward of any kind, together with the address of payees .Payment below Rs. 250 are not to be reported, and this monetary limit shall apply to each single payments made to any individual and not to the total payment made to him during the year.</p>	
---	--

**Amendment of rule 7**

**4. In the said rules, for rule 7 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-**

<b>Column-1 (Existing rule)</b>	<b>Column-2 (Rule as hereby substituted)</b>
<p><b>General Instructions</b> 7. In the matter of details connected with account, the board shall be guided by the instructions of the Examiner, Local Fund Accounts. The register and forms prescribed in these rules provide for all classes of transactions usually occurring in municipalities. No addition to, or modification of, these Form, and no new Form of account can be made by any board without the sanction of Government.</p> <p>Provided that the boards which keep their funds with the State Bank of</p>	<p><b>General Instructions</b> <b>7(1)</b> In the matter of details connected with accounts, the Board shall be guided by the instructions of the Accounts Manual and the Director/ Examiner, Local Funds, Uttar Pradesh. The Forms prescribed in these rules and the Accounts Manual provide for all classes of transactions of moneys usually occurring in municipalities. No addition to, or modification of, these Forms, and no new Form of account shall be made by any Board without the prior approval of the State Government.</p> <p>Provided that the boards which keep their funds with the State Bank of India or other scheduled banks may use the Bank's forms in their transactions with the Bank in place of those prescribed under the Rules.</p>

<p>India or other scheduled banks may use the Bank's in their transactions with the Bank in place of those prescribed under the Rules.</p>	<p>(2) Where in compliance with the requirements of the guidelines as may be issued from time to time by the Comptroller and Auditor General of India or of the Accounting Standards applicable to the Municipalities require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or omission in the head/sub-head or any change inter se, in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made by the administrative order of the State Government to this effect and the requirements of the Accounts Manual shall stand modified accordingly.</p> <p>(3) The audited annual final accounts shall be placed before the board for approval and adoption.</p> <p>(4) In compliance with the Act, the Board shall, on quarterly intervals, place a copy of annual budget, audited final accounts, receipts and expenditures etc. on its official website and notice boards of Central and Zonal offices, if any, and publish the same in atleast two daily news papers having circulation in the municipal area for public disclosure.</p>
--	---

**Amendment of rule 11**

**5. In the said rules, for rule 11 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-**

<b>Column-1 (Existing rule)</b>	<b>Column-2 (Rule as hereby substituted)</b>
<b>11.</b> The accounts of the board shall be audited as	<b>11(1)</b> The accounts of the board



<p>far as possible once a year, by or under the orders, of the Examiner Local Funds Accounts.</p>	<p>shall be audited as far as possible once a year, by or under the orders, of the Director/Examiner Local Funds Accounts.</p> <p>(2) The State Government, the Comptroller and Auditor General of India, or the board may additionally order Special Audits of the accounts and appoint the auditors thereof.</p> <p>(3) Subject to the provisions of the Act and these rules, the auditor shall perform the audit in such manner, as he thinks fit, having regard to the Accounts Manual, the guidelines issued by the Comptroller &amp; Auditor General of India (CAG), and the recognized professional standards and practices.</p> <p>(4) The Auditor shall, within ninety days of the end of the financial year, complete the audit and prepare an audit report.</p> <p><b>INSTRUCTION NOTE:</b>  <i>The auditor's report shall mention:</i></p> <p>(i) <i>Whether he has obtained all the information and explanations which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purposes of his audit?</i></p> <p>(ii) <i>Whether, in his opinion, proper books of account as required by the Act, the Rules, the Accounts</i></p>
---	---

	<p><i>Manual, and any other stipulations have been kept by the municipality so far as it appears from his examination of those books?</i></p> <p><b>(iii)</b> <i>Whether the municipality's Balance Sheet, Income and Expenditure Statement, Receipts and Payments Statement and Cash Flow Statement dealt with by the report are in agreement with the books of accounts?</i></p> <p><b>(iv)</b> <i>Whether appropriate internal controls have been adhered to?</i></p> <p><b>(v)</b> <i>Whether all the payments have been made in accordance with the law?</i></p> <p><b>(vi)</b> <i>Whether any deficiency or loss appears to have been caused by the gross negligence or misconduct of any person (if yes, the amount of loss should be quantified)?</i></p> <p><b>(vii)</b> <i>Whether any sum received on behalf of the municipality which ought to have been brought into account of the local body by any person has been so brought?</i></p> <p><b>(viii)</b> <i>Whether any material impropriety or irregularity, other than those mentioned above, has been observed</i></p>
--	--

	<p>by him during the course of audit of accounts?</p> <p>(ix) Whether all the expenditures incurred by the municipality are authorized by appropriate provision in the sanctioned budget, whether made originally or subsequently?</p> <p>(x) Whether all sums due to and received by the municipality have been brought to account within the prescribed time limits?</p> <p>(xi) Whether all transactions (incomes, expenditures, assets and liabilities) are correctly classified?</p> <p>(xii) Whether in respect of all bills for charges on account of all works and other expenditure, proper certificates have been furnished in support of them and that no deviation has been made from the sanctioned plans and the estimates without the sanction of the competent authority?</p> <p>(xiii) Whether the amounts received as specific grants have been utilized for the purposes as stated in the grant sanction order?</p> <p>(xiv) Whether the Special Funds, have been created as per the provision of relevant</p>
--	---

	<p><i>statutes and whether the Special Funds have been utilized for the purposes for which created?</i></p> <p><i>(xv) Whether the municipality is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets; whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account?</i></p> <p><i>(xvi) Whether physical verification has been conducted by the municipality at reasonable intervals in respect of stores?</i></p> <p><i>(xvii) Whether the procedures of physical verification of stores followed by the municipality are reasonable and adequate? If not, the inadequacies in such procedures should be reported.</i></p> <p><i>(xviii) Whether any material discrepancies have been noticed on physical verification of stores as</i></p>
--	--

compared to book records, and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account?

**(xix)** *Whether the valuation of stores is in accordance with the accounting principles laid down in the Accounts Manual? Whether the basis of valuation of stores is same as in the preceding year? If there is any deviation in the basis of valuation, and the effect of such deviation, if material, should be reported.*

**(xx)** *Whether the parties to whom the loans, or advances in the nature of loans, have been given by the municipality are repaying the principal amounts as stipulated and are also regular in payment of the interest and if not, whether reasonable steps have been taken by the municipality for recovery of the principal and interest?*

**(xxi)** *Whether there exists an adequate internal control procedure for the purchase of stores, including components, plant and machinery, equipment and other assets?*

**(xxii)** *Whether proper procedures*

	<p><i>are in place to identify any unserviceable or damaged stores and whether provision for the loss in this respect, if any, has been made in the accounts?</i></p> <p><i>(xxiii) Whether the municipality is regular in depositing Provident Fund dues and other statutory taxes deducted with the appropriate authorities and, if not, the extent of arrears?</i></p> <p><i>(xxiv) Whether the municipality is regular in depositing tax deducted at source (income tax and works contract tax) and other statutory dues and, if not, the nature and cause of such delay and the amount not deposited?</i></p> <p><i>(xxv) Whether any personal expenses have been charged to revenue account? If so, the details thereof.</i></p>
--	--

**Amendment of rule 11A**      **6. In the said rules for rule 11A set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2, shall be substituted, namely:-**

<b>Column-1 (Existing rule)</b>	<b>Column-2 (Rule as hereby substituted)</b>
<p><b>11A.</b> To meet the cost of the audit of its accounts, the board shall pay a fee calculated as follows: Where the income does not exceed Rs. 65000 Rs.1.00 per centum.</p>	<p><b>11A.</b> To meet the cost of the audit of its accounts, all charges, fee and expenses necessary for the examination and audit of accounts shall be paid by the Board as per the norms prescribed by the State Government from time to time.</p>

<p>Where the income exceed Rs. 65,000 but does not exceed Rs. 1,00,000 Rs. 80-00  And for every Rs.10,000 or part thereof in excess of Rs.1,00,000 - Rs. 30  But no fee shall be less than Rs. 75/-</p> <p>Explanation.- In this rule "income" means the receipts for the year of which the accounts are audited, after deducting any amount paid to the Provincial Public Works or Public Health Department in respect to works carried out as contribution works.</p>	
---	--

**Omission  
Rule 11B**

of **7. In the said rules, for rule 11B set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-**

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
<p>11 B. The audit fee referred to in paragraph 11 A above is for a test audit of two months the accounts only. If as the result of the test audit or otherwise, the accounts for a longer period have to be audited a special audit fee shall be chargeable. Such fee</p>	<p><b>Omitted.</b></p>

shall be the actual cost of the establishment employed in the audit on account of both pay and traveling allowance including halting allowance for the actual period on which they are so employed. If such audit is conducted in conjunction with the test audit a deduction shall be made from the actual period of a period covering the number of working days normally allotted for the test audit, and the fee chargeable shall be the cost of establishment for rest of the period plus the audit fee chargeable for the test audit under paragraph 11-A above.

**Amendment of rule 13**

**8. In the said rules, in rule 13 for sub-rule (1) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-**

<b>Column-1 (Existing sub-rule)</b>	<b>Column-2 (Sub-rule as hereby substituted)</b>
<p>(1)The result of each audit will be communicated in two parts :</p> <p>(i) The objection statement, containing outstanding objections, shall deal with technical irregularities, omissions, and</p>	<p>(1) The result of each audit will be communicated in three parts :</p> <p>(i) The objection statement, containing outstanding objections, shall deal with technical irregularities, omissions, and defects; and</p> <p>(ii)The audit note dealing with matters of a general and important nature which require</p>



defects; and (ii)The audit note dealing with matters of a general and important nature which require the particular attention of the local and higher authorities.	the particular attention of the local and higher authorities. (iii)The Report of the Auditor shall also specifically report on any other matter which the Government or the Board may specifically require to be covered as a part of the Audit.
---	---

*Manoj*  
8.3.19  
( **Manoj Kumar Singh** )  
**Principal Secretary**